ए.

निर्मल कुमार पारसन

बनाम

वाणिज्यिक करों और सेवाओं के आयुक्त। (2009 की सिविल अपील सं. 7863)

बी.

21 जनवरी, 2020

[ए**.** एम**.** खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम, 1954-पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम, 1994-विदेश से आयातित वस्तुओं की बिक्री और राज्य के भूमि-द्रव्यमान पर उन्हें उतारने के बाद विदेशी जाने वाले जहाजों को "जहाज भंडार" के रूप में सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना राज्य के भूमि-द्रव्यमान में रखा गया-बिक्री कर के लिए उपयुक्त या नहीं-न्यायाधिकरण ने कहा कि बिक्री राज्य के भूमि-द्रव्यमान पर हुई थी और बिक्री न तो आयात के लिए थी और न ही निर्यात के लिए थी और छूट के लिए अपीलार्थियों के दावे को खारिज कर दिया-उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण को बरकरार रखा-सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि आयात की प्रक्रिया विदेश जाने वाले जहाज को विचाराधीन माल की बिक्री और बिक्री के लेनदेन के समय पूरी नहीं थीएक प्राथमिकता, आयात के दौरान बिक्री या खरीद के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, आवश्यक शर्तें यह हैं कि ऐसी बिक्री माल के भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने से पहले होगी और माल का आयात प्रभावित होना चाहिए या आयात इस तरह की बिक्री या खरीद के कारण होता है-तत्काल मामले में, विचाराधीन बिक्री आयात का कारण नहीं थी-पश्चिम बंगाल राज्य के भूमि-द्रव्यमान/क्षेत्र के भीतर बंधुआ गोदाम में रखी गई वस्तुओं की बताई गई बिक्री या विनियोग न तो आयात या निर्यात के क्रम में है और इससे भी अधिक, सीमा शुल्क बंदरगाह/भूमि सीमा शुल्क स्टेशन क्षेत्र से परे प्रभावी है-इसलिए, कानून में, यह 1954 के अधिनियम और 1994 के अधिनियम के तहत बिक्री कर लगाने योग्य बिक्री थी। सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 4-नीचे दिए गए अधिकारियों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई कमजोरी नहीं है और जिसने उच्च न्यायालय को न्यायसंगत रूप से सराहना की थी-केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 -एस. 5 आर/डब्ल्यू।एस. 2 (एबी)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** आयात के क्रम में होने वाली बिक्री माल की बिक्री होनी चाहिए और इस तरह की बिक्री के परिणामस्वरूप**,** माल को अनिवार्य रूप से

एच.

1132 ए.

1133

निर्मल कुमार पारसन बनाम वाणिज्यिक कर और ओ. आर. एस. आयोग।

वास्तव में भारत के क्षेत्र के भीतर आयात किया जाना चाहिए और इसके अलावा**,** बिक्री आयात का आंशिक होना चाहिए ताकि इसका अवसर आयात किया जा सके।वास्तव में**,** सीमा शुल्क अधिनियम के प्रयोजनों के लिए**,** केवल सीमा शुल्क के भुगतान पर ही सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा माल को मंजूरी दी जाती है**,** जहाँ से उसके आयात को पूर्ण माना जा सकता है।हालाँकि**,** यह संबंधित राज्य द्वारा बिक्री कर लगाने के लिए कोई बाधा नहीं होगी**,** जिसके क्षेत्र में माल पहले ही उतर चुका था/उतारा जा चुका था और बंधुआ गोदाम में रखा गया था। छूट प्राप्त करने के लिए**,** यह आवश्यक है कि जब बिक्री होती है तो माल आयात की प्रक्रिया में होना चाहिए या बिक्री भारत के क्षेत्र के भीतर उसके आयात का कारण होनी चाहिए।"अवसर" शब्द का उपयोग "कारण बनने" या "तत्काल कारण बनने" के लिए किया जाता है।वर्तमान मामले में**,** बताई गई बिक्री किसी भी तरह से भारत के क्षेत्र में माल के आयात का कारण नहीं थी।क्योंकि**,** विदेश जाने वाले जहाज द्वारा माल को सीमा शुल्क सीमाओं/भारतीय जल सीमा को पार करने के बाद उपभोग के लिए जहाज भंडार के रूप में ले जाया गया था।**[**पैरा **12] [1148-**डी**-**एफ**]**

बी.

सी.

डी.

2. निस्संदेह**,** बिक्री जिसे बिक्री कर के भुगतान से छूट माना जाता है**,** एक ऐसी बिक्री है जो आयात का कारण बनती है या माल के आयात का तत्काल कारण होती है।अपीलार्थियों यह

स्थापित करने में विफल रहे कि कथित माल वास्तव में भारत के क्षेत्र के भीतर आयात किया जाएगा और सीमा शुल्क स्टेशन को पार नहीं किया था, यह तर्क नहीं दे सकते कि बिक्री केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, **1956** की धारा **2 (**ए. बी.**)** सहपठित धारा **5** के अर्थ के भीतर आयात की प्रक्रिया में थी।इसके अलावा, माल के आयात और विचाराधीन बिक्री के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है जो आयात की प्रक्रिया या प्रगति में किया गया है।**[**पैरा **13] [1148-**जी**-**एच**; 1149-**ए**]**

ई.

एफ.

3. वर्तमान मामले में, यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि विचाराधीन वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा था।चूंकि माल का उपभोग विदेश जाने वाले जहाज के बोर्ड पर किया जाना है और किसी गंतव्य तक पहुंचने से पहले इसका उपभोग किया जाएगा, इसलिए यह 'निर्यात' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।बिक्री तब तक बिक्री अवसर निर्यात के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कि माल भारत के बाहर किसी गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता।इसके अलावा, चूंकि माल बंधुआ गोदाम से बेचा गया है और उनकी बिक्री से पहले सीमा शुल्क बंदरगाह/भूमि सीमा शुल्क स्टेशन को पार कर चुका है, इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता है।

जी.

एच.

ए.

सी. एस. टी. अधिनियम की धारा **2 (**ए. बी.**)** सहपठित धारा **5 (1)** के अर्थ के भीतर निर्यात के क्रम में बिक्री के रूप में अर्हता प्राप्त करें। **[**पैरा **24] [1156-**एफ**-**जी**]4.** इस तर्क के संबंध में कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा **69** के तहत घोषणा अपीलार्थी द्वारा की गई थी, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि ऐसी घोषणा विषय बिक्री **(**ओं**)** से संबंधित माल के संबंध में की गई थी।अन्यथा, सीमा शुल्क की छूट के सीमा शुल्क अधिनियम के तहत दिए गए लाभ को संबंधित राज्य और केंद्रीय कानूनों के तहत बिक्री कर की छूट के रूप में नहीं लिया जा सकता है।इसी तरह, **1976** में सी. एस. टी. अधिनियम की धारा **5** में उप**-**धारा **(3)** का सम्मिलन इन मामलों को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि बन्धक गोदाम जहां माल की कथित बिक्री या विनियोग हुआ है, वह पश्चिम बंगाल राज्य की भूमि के भीतर है और सीमा शुल्क स्टेशन क्षेत्र के भीतर नहीं दिखाया गया है।**[**पैरा **25] [1156-**एच**; 1157-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

5. एक प्राथमिकता के रूप में**,** यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल राज्य के भू**-**भाग**/**क्षेत्र के भीतर बंधुआ गोदाम में रखी गई वस्तुओं की कथित बिक्री या विनियोग न तो आयात या निर्यात के क्रम में है और इससे भी अधिक**,** सीमा शुल्क बंदरगाह**/**भूमि सीमा शुल्क स्टेशन क्षेत्र से परे प्रभावित थे।इसलिए**,** कानूनी रूप से**,** यह सी**.** एस**.** टी**.** अधिनियम की धारा **4** सहपठित **1954** के अधिनियम और **1994** के अधिनियम के तहत बिक्री कर लगाने के लिए उत्तरदायी बिक्री थी। नतीजतन**,** इन अपीलों को विफल होना चाहिए**,** क्योंकि हम नीचे दिए गए अधिकारियों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं और जिन्होंने उच्च न्यायालय में न्यायसंगत रूप से सराहना की थी।**[**पैरा **26] [1157-**सी**]**

डी.

ई.

के**.** गोपीनाथन नायर और ओआरएस**.** वी**.**केरल राज्य **(1997)**

10 एससीसी **1:[1997] 3** एससीआर **226;** मो**.** सेराजुद्दीन और ओआरएस**.** वी**.**उड़ीसा राज्य **(1975) 2** एस**.** सी**.** सी **47:[1975] 0** पूरक।एस**.** सी**.** आर**.** **169-**निर्भर

एफ.

जे. वी. गोकल एंड कंपनी (निजी) लिमिटेड बनाम।सहायक बिक्री कर कलेक्टर (निरीक्षण) और अन्य। [1960] 2 एससीआर 852; भारतीय पर्यटक विकास निगम लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक करों के सहायक आयुक्त और ए. एन. आर.

जी.

(2012) 3 एससीसी **204:[2012] 1** एससीआर **808-**लागू नहीं होता है।

मेसर्स रंजीत शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामपश्चिमी राज्य

बंगाल और ओआरएस। (1980) एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 141:(1980) 2 ए.

एच.

1135

निर्मल कुमार पारसन बनाम वाणिज्यिक कर और ओ. आर. एस. आयोग।

सीएचएन **192;** मद्रास मरीन एंड कंपनी बनाममद्रास राज्य

(1986) 3 एससीसी 552:[1986] 3 एस. सी. आर. 236; राज्य

त्रावणकोर-कोचीन और अन्य बनामशनमुघा विलास काजू कारखाना, क्विलॉन और अन्य। [1954] एससीआर 53; मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम। बिक्री

कर अधिकारी और अन्य। (1998) 7 एससीसी 19:[1998] 2 पूरक।

बी.

एससीआर **112;** केरल राज्य और अन्य बनामफा**.** विलियम

फर्नांडीज और ओआरएस। (2017) एससीसी ऑनलाइन एससी 1291:(2017)

12 स्केल **463;** कॉफी बोर्ड**,** बैंगलोर बनाम संयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी**,** मद्रास और अन्र। **(1969) 3** एससीसी **349:[1970] 3** एस**.** सी**.** आर**. 147;** सीमा शुल्क आयुक्त **(**आयात**),** मुंबई बनाम दिलीप कुमार और कंपनी और अन्य।

सी.

(2018) 9 एससीसी 1:[2018] 7 एससीआर 1191; बर्मा शेल

ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामवाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य। [1961] 1 एस. सी. आर. 902; किरण स्पिनिंग मिल्स बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर (2000) 10 एस. सी. सी. 228; केरल राज्य और अन्य। वी.कोचीन कोल कंपनी लिमिटेड [1961] 2 एस. सी. आर. 219; फेयरमैक्स ट्रेडिंग कंपनी बनाम.द.

डी.

आंध्र प्रदेश राज्य (1975) 36 एसटीसी 260 (एपी);

फेयरमैक्स ट्रेडिंग कं**.** वी**.**तमिलनाडु राज्य **(1978)**

41 एस**.** टी**.** सी**. 157 (**मैड**)-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

ई.

[1986] 3 एससीआर **236**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4**

[1960] 2 एससीआर **852**

अप्रयोज्य

पैरा **7**

[1954] एससीआर **53**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

[1998] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 112** पैरा **7 [2012] 1** एस**.** सी**.** आर**. 808** अप्रयोज्य पैरा **7 [1970] 3** एस**.** सी**.** आर**. 147** पैरा **7 [2018] 7** एस**.** सी**.** आर**. 1191** पैरा **8 [1961] 1** एस**.** सी**.** आर**. 902** पैरा **8 (2000) 10** एस**.** सी**.** सी**. 228** पैरा **8 [1961] 2** एस**.** सी**.** आर**. 219** पैरा **11 [1997] 3** एस**.** सी**.** आर**. 226** पैरा **18 [1975] 0** सप्लीमेंट पर निर्भर था।एस**.** सी**.** आर**. 169** पैरा **22** पर निर्भर था।

एफ.

जी.

एच.

1136

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 1 एस सी आर।

ए.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2009 की सिविल अपील सं. 7863।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के 2007 के W.P.T.T. सं. 5 में दिनांकित 16.08.2007 निर्णय और आदेश से।

के साथ

बी.

2009 की सिविल अपील सं. 7864।

सिद्धार्थ भटनागर, वरिष्ठ अधिवक्ता, जॉयदीप मजूमदार, ध्रुव सुराना, सुश्री शालिनी कौल, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

सुश्री मधुमिता भट्टाचार्जी, सुश्री उर्मिला कर पुरकायस्थ, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. इन अपीलों में शामिल प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या "जहाज भंडार" के रूप में विदेश जाने वाले जहाजों की बिक्री (विदेश से आयातित माल की और उसे पश्चिम बंगाल राज्य के भूमि-द्रव्यमान पर उतारने के बाद, सीमा शुल्क के भुगतान के बिना बंधुआ गोदाम में रखी गई) को राज्य के क्षेत्र के भीतर बिक्री माना जा सकता है और पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम, 1954 (संक्षेप में, '1954 अधिनियम') या पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम, 1994 (संक्षेप में, '1994 अधिनियम') के तहत बिक्री कर के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है।

डी.

ई.

2. वर्तमान मामलों में स्वीकार की गई तथ्यात्मक स्थिति यह है कि विदेशी निर्मित सिगरेट का आयात करने के बाद, अपीलार्थियों ने उसे पश्चिम बंगाल राज्य के भू-भाग के भीतर सीमा शुल्क बंधुआ गोदाम में संग्रहीत किया और उनमें से कुछ वस्तुओं को सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना जहाज भंडार के रूप में विदेश जाने वाले जहाज के स्वामी को बेच दिया गया।उन सामानों को सीमा शुल्क प्राधिकरण के अधिकारियों की देखरेख में कथित जहाज तक ले जाया गया था।

एफ.

3. ये अपीलें कलकत्ता में उच्च न्यायालय (संक्षेप में, 'उच्च न्यायालय') के निर्णय और आदेश पर आपत्ति उठाती हैं, जो क्रमशः W.P.T.T. संख्या 5/2007 और 6/2007 में दिनांकित है, जिसके तहत उसने पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण (संक्षेप में, 'न्यायाधिकरण') के निर्णय को बरकरार रखा था कि कथित बिक्री पश्चिम बंगाल राज्य के क्षेत्र के भीतर थी और बिक्री कर के लिए उत्तरदायी थी।

जी.

4. सिविल अपील सं. 7863/2009 वाणिज्यिक कर अधिकारी, पश्चिम बंगाल, दिनांक ए द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश से निकलती है।

एच.

1137

निर्मल कुमार पारसन बनाम आयोग

वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

13.3.1985 मूल्यांकन अवधि से संबंधित-1.4.1980 से 31.3.1981।मूल्यांकन अधिकारी ने स्टॉक से आयातित सिगरेट की कथित बिक्री के संबंध में बिक्री कर के भुगतान से

छूट के दावे को खारिज कर दिया, क्योंकि मैसर्स रंजीत शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल राज्य के भू-भाग के भीतर बंधुआ गोदाम से बाहर जाने वाले जहाजों को सिगरेट बेची गई थी।

बी.

अन्न बनाम।पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। 1.प्राधिकरण ने पाया कि यह

आयात के क्रम में बिक्री नहीं जैसा कि निर्धारिती (अपीलार्थी) द्वारा दावा किया गया है। अपीलार्थियों ने असफल रूप से मामले को अपील में और अंत में न्यायाधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण में रखा, जिसे 30.3.2007 पर खारिज कर दिया गया।पुनरीक्षण प्राधिकरण से पहले, एकमात्र विवाद यह था कि पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर या यहां तक कि भारत में भी कोई बिक्री नहीं थी क्योंकि खरीदार को जहाज के भारत के क्षेत्रीय जल को पार करने से पहले माल का उपभोग करने का कोई अधिकार नहीं था।पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष अपीलार्थियों द्वारा यह आग्रह किया गया था कि विदेश जाने वाले जहाज को बिक्री के समय आयात की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी और लेनदेन आयात के दौरान एक बिक्री थी।नतीजतन, बेचे गए सामान संबंधित पश्चिम बंगाल बिक्री कर कानूनों के तहत कर योग्य नहीं थे क्योंकि माल कभी भी पश्चिम बंगाल राज्य के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता था, जो केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (संक्षेप में, 'सीएसटी अधिनियम') की धारा 2 (एबी) में परिभाषित भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करता था।हालाँकि, न्यायाधिकरण ने माना कि बिक्री पश्चिम बंगाल राज्य की भूमि पर हुई थी और बिक्री न तो आयात के लिए थी और न ही निर्यात के लिए।न्यायाधिकरण अनिवार्य रूप से मद्रास मरीन एंड कंपनी बनाम मद्रास मरीनमद्रास राज्य 2 अपीलार्थियों द्वारा दायर संशोधन को गुणदोष से रहित होने के कारण अस्वीकार करने के लिए। पीड़ित महसूस करते हुए, अपीलार्थियों ने मामले को एक रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में ले जाया, जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को न्यायसंगत और उचित मानते हुए खारिज कर दिया।5. सिविल अपील सं. 7864/2009 1994 के अधिनियम की धारा 65 के तहत वाणिज्यिक कर सहायक आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 22.10.2003 के आदेश से निकलती है जो मूल्यांकन अवधि-

1.4.1999 से 31.3.2000,1.4.2000 से 31.3.2001,1.4.2001 से 31.3.2002 और 1.4.2002 से 31.3.2003 से संबंधित है।अपीलार्थियों का यह दावा कि विचाराधीन बिक्री उच्च समुद्रों पर आयात के क्रम में थी और उस पर कोई बिक्री कर देय नहीं था, खारिज कर दिया गया।प्राधिकरण ने दावे का जवाब इस प्रकार दिया:-

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

1 1980 एससीसी ऑनलाइन कैल 141:(1980) 2 सीएचएन 192 2 (1986) 3 एससीसी 552

एच.

".....

प्रासंगिक और संदर्भित सभी न्यायिक आदेशों का अध्ययन किया गया और विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई।उनके स्वामी, माननीय पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण ने केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम में धारा 2 (ए. बी.) को लागू करने के बाद कानून की स्थिति सहित व्यापारी द्वारा लिए गए सभी आधारों पर विचार करने के बाद निर्णय पारित किया। उनके नेतृत्व में कोलकाता के माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय न्यायाधिकरण के विवादित आदेश की शुद्धता में संदेह का एक अंश भी व्यक्त नहीं किया।विवाद में बिक्री की मात्रा निर्धारित करने के लिए आदेश को स्थगित कर दिया गया था।यह देखा गया कि कुल आयातित और संग्रहीत वस्तुओं में से केवल एक हिस्से को किसी विशेष जहाज के मालिक को बिक्री के लिए ले जाया गया था।उसी गोदाम से स्थानीय लोगों को बिक्री के लिए सामान भी ले जाया गया था।इसलिए बेचे गए माल का पता नहीं लगाया जा सकता था और उन्हें बंधुआ गोदाम से बाहर निकालने से पहले उचित नहीं माना जा सकता था।माल में जोखिम उस समय और उस स्थान पर ही स्थानांतरित किया जाता था।ऐसा हो सकता है कि सीमा शुल्क प्राधिकरण ने अपने स्वयं के नुकसान को रोकने के लिए माल को अपने कब्जे में ले लिया हो।

बी.

सी.

डी.

राजस्व।आयात के दौरान ऐसी कोई बिक्री नहीं हो सकती थी क्योंकि बिक्री से आयात नहीं हुआ था।इनमें से कोई भी निर्यात नहीं था क्योंकि माल को दूसरे देश के क्षेत्र में उस रूप में प्रवेश नहीं करना था जिस रूप में उन्हें भेजा गया था।शुल्क-मुक्त दुकानों से बिक्री का सादृश्य अप्रासंगिक था।क्योंकि, यह हमेशा सीमा शुल्क सीमा के दूसरी तरफ रहता है और इसलिए सीमा पार करने से पहले जोखिम स्थानांतरित कर दिया जाता है।

ई.

इस प्रकार इस बात का कोई खंडन नहीं था कि जहाजों के मालिकों को माल की बिक्री राज्य में बिक्री थी और कर योग्य थी।विक्रेता को ऐसी बिक्री पर कर का भुगतान करने और मूल्यांकन किए जाने वाले वर्षों के लिए रिटर्न को संशोधित करने के लिए कहा गया था।मूल्यांकन प्राधिकरण से अनुरोध किया गया था कि यदि आवश्यक हो तो मूल्यांकन को संशोधित किया जाए, जिसमें कोई आपत्ति नहीं है।अपीलीय और पुनरीक्षण अधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि वे ऐसी बिक्री पर देय कर को स्वीकृत कर के रूप में माने।

एफ.

जी.

....."

(जोर दिया गया) 6.व्यथित महसूस करते हुए, अपीलार्थियों ने न्यायाधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण का सहारा लिया, जिसे ए के निर्णय के बाद खारिज कर दिया गया।

एच.

1139

निर्मल कुमार पारसन बनाम आयोग

वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ट्रिब्यूनल ने उसी तारीख को पारित किया यानी 30.3.2007 साथी अपील के मामले में। अपीलार्थी ने मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, प्राधिकरण के फैसले को बरकरार रखते हुए, जिसने यह अभिनिर्धारित किया था कि विचाराधीन बिक्री 1994 के अधिनियम के तहत बिक्री कर के लिए उत्तरदायी होगी।

बी.

7. इन अपीलों में अपीलार्थियों के तर्क का जोर यह है कि विदेश जाने वाले जहाज को माल की बिक्री के समय आयात की प्रक्रिया पूरी नहीं थी और बिक्री का लेनदेन "आयात के क्रम में" था, जिसके कारण यह बिक्री कर के लिए उत्तरदायी नहीं था और वास्तव में, राज्य को ऐसा कर लगाने का कोई अधिकार नहीं होगा।इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 286 पर निर्भरता रखी गई थी, जिसमें माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के संबंध में प्रतिबंधों का प्रावधान किया गया था और सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 पर, विशेष रूप से इसकी उप-धारा (2) में, यह तर्क दिया गया था कि विचाराधीन बिक्री भारत के क्षेत्र में माल के आयात के दौरान हुई मानी जाएगी।रिलायंस को संविधान पीठ के फैसले पर रखा गया था

सी.

डी.

जे. वी. गोकल एंड कंपनी में इस न्यायालय का। (निजी) लिमिटेड बनामसहायक कलेक्टर

बिक्री-कर (निरीक्षण) और अन्य। **3,** जो प्रदर्शनी के बाद आया था

त्रावणकोर-कोचीन राज्य और अन्य बनामषण्मुघा विलास काजू

नट फैक्ट्री, क्विलॉन एंड ओआरएस। 4.सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (ए. बी.) में "भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करना", सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2 (11) में "सीमा शुल्क क्षेत्र" और धारा 2 (13) (संक्षेप में, "सीमा शुल्क अधिनियम") में "सीमा शुल्क स्टेशन" की परिभाषा पर भरोसा करते हुए, यह आग्रह किया गया कि सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने का अर्थ सीमा शुल्क स्टेशन की सीमाओं को पार करना है, जिसमें उस क्षेत्र को पार करना भी शामिल है जिसमें आयातित माल या निर्यातित माल को आम तौर पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मंजूरी के समक्ष रखा जाता है।रिलायंस को मिनरल्स में भी निर्णय पर रखा गया था।

ई.

एफ.

& मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनामबिक्री कर अधिकारी

& ओआरएस। 5, जिसे सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 का अर्थ लगाने का अवसर मिला है। तब यह आग्रह किया गया कि विचाराधीन वस्तुओं को भंडारण के लिए रखा जाए और अपीलार्थियों द्वारा एक घोषणा दी गई कि उक्त वस्तुओं को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 88 के अनुसार जहाज भंडार के रूप में विदेश जाने वाले जहाजों को निर्यात किया जाएगा। अपीलार्थियों ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 69,85 और 88 में यह तर्क दिया है कि कथित वस्तुओं को आयात शुल्क के भुगतान के बिना भारत के बाहर किसी स्थान पर निर्यात किया जा सकता है और

जी.

3 (1960) 2 एससीआर 852:ए. आई. आर 1960 एस. सी. 595 4 (1954) एस. सी. आर. 53:ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 333 5 (1998) 7 एस. सी. सी. 19

एच.

जब तक आयात शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक इसके आयात को पूर्ण नहीं कहा जा सकता है।रिलायंस को तब इंडियन टूरिस्ट में निर्णय पर रखा गया था।

विकास निगम लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त

वाणिज्यिक कर और अन्र। 6, जो अपीलार्थियों के अनुसार, सभी चार पर लागू होता है, क्योंकि उस मामले में भी, माल को बंधुआ गोदामों में रखा जाता था और फिर शुल्क मुक्त दुकानों को आपूर्ति की जाती थी, जिस लेनदेन को राज्य को देय बिक्री कर की प्रयोज्यता से इस आधार पर निकाला गया है कि माल ने सीमा शुल्क सीमाओं को पार नहीं किया था और बिक्री भारत के क्षेत्र में माल के आयात के दौरान हुई थी।अपीलार्थियों के अनुसार, अधिकारियों द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष, जिसके नीचे उच्च न्यायालय की सराहना की गई थी, पूरी तरह से उपरोक्त निर्णय के अनुरूप था।अपीलार्थियों ने मद्रास मरीन (उपरोक्त) में निर्णय को इस आधार पर अलग किया है कि उस मामले में माल केवल पुनः निर्यात के लिए था और उस संदर्भ में, यह माना गया था कि विदेश में एक गंतव्य की आवश्यकता थी।इसके अलावा, उक्त निर्णय ने सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (ए. बी.) की प्रभावकारिता पर विचार नहीं किया है और न ही जे. वी. गोकल (ऊपर) में उस उक्ति पर ध्यान दिया है, जो आयात/'आयात के दौरान' के मामले से संबंधित है।यह आग्रह किया गया था कि जे. वी. गोकल (ऊपर) में निर्णय लिया गया था

बी.

सी.

डी.

केरल राज्य में हाल ही में लिया गया निर्णय और ओआरएस बनामफा. विलियम

फर्नांडीज और ओआरएस। **7.**यह आगे आग्रह किया गया कि कॉफी में उक्ति

बोर्ड**,** बैंगलोर बनाम संयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी**,** मद्रास और

एन. आर. 8 वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति के लिए विशिष्ट और अप्रयोज्य है और इससे भी अधिक, धारा 5 में 1976 के संशोधन के बाद उप-धारा (3) को सम्मिलित करके इसका कोई असर नहीं हो सकता है, जो गैर-अबाधित खंड के साथ खुलता है और यह प्रावधान करता है कि भारत के क्षेत्र से बाहर उन वस्तुओं के निर्यात के अवसर पर बिक्री या खरीद से पहले किसी भी वस्तु की अंतिम बिक्री या खरीद भी ऐसे निर्यात के दौरान मानी जाएगी, यदि ऐसी अंतिम बिक्री या खरीद ऐसे निर्यात के लिए या उसके संबंध में समझौते या आदेश का पालन करने के उद्देश्य से हुई थी।संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों बल दिया गया। वास्तव में, यह आग्रह किया गया था कि कथित बिक्री आयात की प्रक्रिया में थी और राज्य के कानून के तहत राज्य द्वारा बिक्री कर के अधिरोपण के अधीन नहीं की जा सकती थी।

ई.

एफ.

जी.

8. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं का आग्रह होगा कि अधिकारियों ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया था और उचित मूल्यांकन के बाद

6 (2012) 3 एससीसी 204

7 2017 एससीसी ऑनलाइन एससी 1291:(2017) 12 स्केल 463 8 (1969) 3 एससीसी 349 ए

एच.

1141

निर्मल कुमार पारसन बनाम आयोग

वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

उसके समक्ष साक्ष्य ने न्यायसंगत निष्कर्ष निकाला कि कथित बिक्री न तो आयात और न ही निर्यात के क्रम में थी और पश्चिम बंगाल राज्य के भू-भाग पर हुई थी और इस प्रकार, 1954 के अधिनियम और 1994 के अधिनियम के तहत बिक्री कर के लिए उत्तरदायी थी।यह आग्रह किया गया कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि माल को पश्चिम बंगाल राज्य के भू-भाग पर बंधुआ गोदामों में रखा गया था और विदेश जाने वाले जहाज के मालिक को जहाज भंडार के रूप में बेचा गया था।यह आग्रह किया गया कि "भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करना" अभिव्यक्ति को पहले से ही सी. एस. टी. अधिनियम में परिभाषित किया गया है और इसके अनुप्रयोग को "सीमा शुल्क स्टेशन" के क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया है, जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है कोई भी सीमा शुल्क बंदरगाह, सीमा शुल्क हवाई अड्डा या भूमि सीमा शुल्क स्टेशन।दूसरे शब्दों में, "भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करना" अभिव्यक्ति संपूर्ण है और इसमें बंधुआ गोदाम शामिल नहीं होंगे, जहां बताए गए

सामान को जहाज के भंडार के रूप में विदेश जाने वाले जहाज के मालिक को बेचे जाने के लिए रखा गया था।यह आग्रह किया गया कि एक कराधान क़ानून होने के नाते, इस परिभाषा की सख्त व्याख्या की जानी चाहिए

बी.

सी.

सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम दिलीप

कुमार एंड कंपनी एंड ओआरएस। 9.यह भी आग्रह किया गया कि किसी भी तरह की कल्पना के बिना माल की कथित बिक्री "भारत के क्षेत्र में माल के आयात के क्रम में" अभिव्यक्ति को योग्य बना सकती है, जैसा कि अपीलार्थियों द्वारा तर्क दिया गया है।इसके लिए, माल को वास्तव में भारत के क्षेत्र में आयात किया जाना चाहिए और बिक्री एकल बिक्री होनी चाहिए, जो स्वयं आयात का कारण बनती है या आयात की प्रगति या प्रक्रिया में है।यह आग्रह किया गया था कि अधिकारियों ने सही राय दी थी कि पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर बिक्री थी; अपीलार्थी (गण) के दावे को खारिज करते हुए कि केवल इसलिए कि खरीदार को जहाज के भारत के क्षेत्रीय जल को पार करने से पहले विचाराधीन माल का उपभोग करने का कोई अधिकार नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बिक्री बंधुआ गोदाम में ही माल के विनियोग से पूरी हुई थी।इसी तरह, यह तथ्य कि उल्लिखित वस्तुओं पर सीमा शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, इसका कोई परिणाम नहीं होगा।यह आग्रह किया गया कि अपीलार्थियों ने पहली बार एक नई याचिका दायर की है कि उन्होंने घोषणा दायर की थी।संबंधित प्राधिकारी के समक्ष ऐसी कोई याचिका नहीं ली गई थी और न ही संबंधित मूल्यांकन अवधि (ओं) के लिए इसके समर्थन में कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था।इसलिए, अपीलार्थियों को इस तर्क को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इस प्रकार, अपील नीचे दिए गए अधिकारियों के समक्ष की गई याचिका तक सीमित होनी चाहिए कि कथित बिक्री पश्चिम बंगाल राज्य के क्षेत्र के भीतर या भारत में प्रभावित नहीं हुई थी।उत्तरदाताओं ने निर्णयों पर निर्भरता रखी है

डी.

ई.

एफ.

जी.

बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्न।

9 (2018) 9 एससीसी 1

एच.

बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य। **10,** कॉफी बोर्ड **(**ऊपर**)** और

मद्रास मरीन **(**ऊपर**)** का तर्क है कि इस मुद्दे का जवाब अपीलार्थियों के खिलाफ दिया गया है। उत्तरदाताओं ने निर्भर निर्णय को अलग किया है

भारतीय पर्यटक विकास निगम में अपीलार्थियों द्वारा

(ऊपर)।यह आग्रह किया गया कि अमेरिकी न्यायालयों द्वारा विकसित अखंड पैकेज के सिद्धांत का भारत में कोई उपयोग नहीं है, जैसा कि फा. विलियम फर्नांडीस (ऊपर)।इस प्रकार यह आग्रह किया गया कि कर योग्य घटना बंधुआ गोदाम में ही माल के विनियोग पर हुई थी, जो पश्चिम बंगाल राज्य के क्षेत्र के भीतर था।इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, किरण स्पिनिंग मिल्स बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर 11 पर निर्भरता रखी गई थी, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कर योग्य घटना सीमा शुल्क अवरोध को पार करने का दिन होगा, न कि उस तारीख को जब माल भारत में उतरा था या क्षेत्रीय जल में प्रवेश किया था।प्रत्यर्थी आग्रह करेंगे कि अपीलें गुणदोष से रहित हैं और तदनुसार खारिज कर दी जाएं।

बी.

सी.

9. हमने श्री सिद्धार्थ भटनागर, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री जॉयदीप मजूमदार, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री मधुमिता भट्टाचार्जी को सुना है।

डी.

10. जैसा कि अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष से पता चला है, यह विवाद में नहीं है कि उल्लिखित माल का आयात करने के बाद, अपीलार्थियों ने उसे पश्चिम बंगाल राज्य के भू-भाग के भीतर बंधुआ गोदाम में संग्रहीत किया और फिर कुछ वस्तुओं को जहाज के भंडार के रूप में विदेश जाने वाले जहाज के स्वामी को बेचा गया, उस पर सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना।सवाल यह है:क्या विचाराधीन बिक्री "आयात के दौरान बिक्री" अभिव्यक्ति के योग्य होगी?"आयात के क्रम में बिक्री" वाक्यांश तीन आवश्यक विशेषताओं का गठन करेगा-(i) बिक्री होनी चाहिए; (ii) वस्तुओं का वास्तव में आयात किया जाना चाहिए और (iii) बिक्री आयात का अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए।वर्तमान मामले में तथ्यात्मक मैट्रिक्स स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विचाराधीन बिक्री से उल्लिखित वस्तुओं का आयात नहीं होगा।इसके बजाय, इसके परिणामस्वरूप माल (पश्चिम बंगाल राज्य के भूमि-द्रव्यमान पर उतारे जाने के बाद) चल रहे जहाज पर भारतीय जल क्षेत्र के बाहर जहाज भंडार के रूप में ले जाया जाएगा ताकि जहाज पर उपभोग किया जा सके और किसी अन्य गंतव्य को निर्यात के लिए नहीं।अपीलार्थियों ने सलाह दी है कि उन्होंने इस तर्क का पालन नहीं किया है कि बताई गई बिक्री के परिणामस्वरूप निर्यात होगा या

ई.

एफ.

जी.

10 (1961) 1 एससीआर 902:ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 325 11 (2000) 10 एस. सी. सी. 228 ए.

एच.

1143

निर्मल कुमार पारसन बनाम आयोग

वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

निर्यात का क्रम।क्योंकि इस तरह के तर्क को इस न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

मद्रास मरीन (ऊपर) में।

11. स्वीकार करते हुए, उपरोक्त उल्लिखित निर्णय में व्याख्या में अंतर्निहित सिद्धांत इस तर्क पर विचार करने के लिए प्रोप्रियो वीगर लागू होगा कि क्या बताई गई बिक्री को आयात के दौरान बिक्री के रूप में माना जा सकता है।मद्रास मरीन (ऊपर) में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने बर्मा शेल (ऊपर) में संविधान पीठ के फैसले पर विचार किया था।न्यायालय ने संविधान पीठ के इस आशय के कथन पर ध्यान दिया कि राज्य द्वारा कराधान को बाहर करने के लिए, अपीलार्थियों को यह साबित करना होगा कि कोई अन्य राज्य था, जहां माल को उस अन्य राज्य में उपभोग के उद्देश्य से बिक्री के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में वितरित किया गया था और क्योंकि वे ऐसा करने में विफल रहे, उपभोग के लिए विमान में लादी गई वस्तुएं, हालांकि भारत से बाहर ले जाई गईं, निर्यात नहीं थी क्योंकि इसका कोई गंतव्य नहीं था, जहां इसे आयात किया गया था, और जब तक यह उस परीक्षण को पूरा नहीं करता, यह नहीं कहा जा सकता था कि बिक्री निर्यात के क्रम में थी।संविधान पीठ के इस कथन को ध्यान में रखने के अलावा, न्यायालय ने निर्णय को भी स्वीकार किया

बी.

सी.

डी.

केरल राज्य और अन्य बनामकोचीन कोल कंपनी लिमिटेड **12,** जिसमें यह

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 286 (1) (बी) में निर्यात की अवधारणा दो छोरों के अस्तित्व को अभिनिर्धारित करती है जिनके बीच माल को ले जाने का इरादा था या जिनके बीच उन्हें ले जाने का इरादा था, न कि केवल माल की देश से बाहर

आवाजाही, बिना किसी विदेशी बंदरगाह में विशिष्ट रूप से उतारे जाने के इरादे के।इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने भी व्यापक रूप से निर्णय का समर्थन किया

ई.

फेयरमैक्स ट्रेडिंग कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयराज्य की

आंध्र प्रदेश **13** और इसी तरह के तर्क से निपटने के लिए उसी को मंजूरी दी।न्यायालय ने मद्रास के निर्णय को भी नोट किया और उसे मंजूरी दी।

फेयरमैक्स ट्रेडिंग कंपनी बनाम में उच्च न्यायालयतमिलनाडु राज्य 14.

एफ.

न्यायालय ने पैराग्राफ 19 से 21 और 25 से 28 में निम्नलिखित टिप्पणी कीः- "19. जहाँ तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, हमारी राय में सही स्थिति बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम के निर्णय में रखी गई है।सी. टी. ओ. इस न्यायालय ने पृष्ठ 781 पर निम्नलिखित टिप्पणी कीः

जी.

" जबकि सभी निर्यातों में देश से बाहर ले जाना शामिल था, देश से बाहर ले जाने वाले सभी सामानों को ऐसा नहीं कहा जा सकता है

12 (1961) 2 एससीआर 219:ए. आई. आर 1961 एस. सी. 408 13 (1975) 36 एस. टी. सी. 260 (ए. पी.)

एच.

14 (1978) 41 एसटीसी 157 (मैड)

निर्यात किया जाता है।परीक्षण यह है कि माल का एक विदेशी गंतव्य होना चाहिए जहाँ उन्हें आयातित कहा जा सकता है।यह**.**

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गंतव्य के अंत में प्राप्तकर्ता की ओर से कोई मूल्यवान विचार नहीं है।यदि माल का निर्यात किया जाता है

और उस निर्यात के दौरान बिक्री या खरीद होती है और बिक्री या खरीद के अवसरों पर किसी विदेशी गंतव्य को निर्यात किया जाता है**,** छूट अर्जित की जाती है।द्वारा की गई खरीद

बी.

विदेशों में संकट को कम करने के लिए वस्तुओं के निर्यात के दौरान परोपकारी लोगों को अभी भी छूट दी जा सकती है, भले ही माल भेजना एक वाणिज्यिक उद्यम नहीं था।

लेकिन एक धर्मार्थ।महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि माल को किसी विदेशी गंतव्य पर भेजा जाता है जहां उन्हें आयात के रूप में प्राप्त किया जाता है।"

सी.

20. उस मामले में अपीलार्थियों पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों में काम करते थे और कलकत्ता में व्यवसाय करते थे।उन्होंने दम दम हवाई अड्डे पर आपूर्ति डिपो बनाए रखे थे, जहाँ से विमानन स्पिरिट बेची जाती थी और उनके उपभोग के लिए विदेश जाने वाले विमानों को वितरित की जाती थी।सवाल यह था कि क्या विदेशों में जाने वाले विमानों को ये आपूर्ति बंगाल मोटर स्पिरिट बिक्री कराधान अधिनियम, 1941 के तहत बिक्री कर के लिए उत्तरदायी थी।उस मामले में अपीलार्थियों का तर्क था कि ऐसी बिक्री भारत के क्षेत्र से बाहर ऐसी विमानन भावना के निर्यात के क्रम में की गई थी, कि वे पश्चिम बंगाल राज्य के बाहर हुई थीं, क्योंकि विमानन भावना पश्चिम बंगाल के बाहर उपभोग के लिए वितरित की गई थी, इसलिए बिक्री अनुच्छेद 286 के खंड (1) (ए) के स्पष्टीकरण के भीतर नहीं आ सकती थी जैसा कि तब था।इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा कराधान को अपवर्जित करने के लिए, अपीलार्थियों को यह साबित करना था कि कोई अन्य राज्य है जहां माल को उस अन्य राज्य में उपभोग के उद्देश्य से बिक्री के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में वितरित किया गया था और क्योंकि वे ऐसा करने में विफल रहे, उपभोग के लिए विमान में लदी विमानन स्पिरिट को भारत से बाहर ले जाया गया था, इसलिए निर्यात नहीं किया गया था क्योंकि इसका कोई गंतव्य नहीं था, जहां इसे आयात किया गया कहा जा सकता था और जब तक यह उस परीक्षण को पूरा नहीं करता था, तब तक यह नहीं कहा जा सकता था कि बिक्री निर्यात के क्रम में थी।यह भी माना गया कि विमानन भावना को विमान के उपयोग के लिए बेचा गया था और बिक्री निर्यात के उद्देश्य से भी नहीं थी और वितरण और मूल्य के भुगतान सहित बिक्री के सभी तत्व पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर हुए थे और बिक्री उस राज्य के क्षेत्र के भीतर पूरी हुई थी।
रीति-रिवाज ए

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

बाधा ने बिक्री कर के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल के क्षेत्र के लिए एक अंतिम सीमा निर्धारित नहीं की थी।सीमा शुल्क बाधा से परे बिक्री अभी भी पश्चिम बंगाल राज्य में वास्तव में एक बिक्री थी।

21. इस निर्णय का अनुपात इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होगा।यह उचित आग्रह किया गया था कि माल का विनियोग तमिलनाडु राज्य में हुआ था जब माल को विदेशी जाने वाले जहाजों को वितरित करने के लिए बंधुआ गोदाम में अलग किया गया था।यह निर्यात का मामला नहीं था क्योंकि विदेश में माल के लिए कोई गंतव्य नहीं था।बिक्री जहाज पर उपभोग के उद्देश्य से की गई थी।ऐसा नहीं था कि बिक्री केवल जहाज पर डिलीवरी पर हुई थी।केवल यह तथ्य कि शिपिंग बिल इसे सीमा शुल्क औपचारिकताओं के लिए भेजने के लिए तैयार किया गया था, जो तस्करी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, बिक्री कर के उद्देश्य से लेनदेन की प्रकृति को निर्धारित नहीं कर सका और न ही ऐसी परिस्थितियां जो जहाज पर सवार कप्तान को प्रादेशिक जल के भीतर डिलीवरी थी, इसे तमिलनाडु राज्य के बाहर बिक्री बनाती है।XXX

बी.

सी.

डी.

XXX

XXX

25. फेयरमैक्स ट्रेडिंग कंपनी बनाम ए. पी. राज्य के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष याची ने विदेशों से जहाज-भंडारों का आयात किया, इन्हें सीमा शुल्क लगाए बिना सीमा शुल्क विभाग के बंधुआ गोदामों में रखा और बाद में बंदरगाह की सीमाओं को पार करने के बाद जहाज को विदेश में उपभोग करने के लिए जहाजों के मालिकों को बेचा और वितरित किया।यह पूछे जाने पर कि क्या बिक्री राज्य के बाहर थी या निर्यात के दौरान थी और इसलिए आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957 के तहत कर के लिए उत्तरदायी नहीं थी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि माल विशिष्ट और सुनिश्चित था और जब बिक्री का अनुबंध हुआ तो राज्य के भीतर था और इसलिए केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (ए) की आवश्यकताएं पूरी तरह से संतुष्ट थीं और बिक्री को राज्य के अंदर हुआ कहा जाना चाहिए; लेकिन चूंकि बेचा गया माल यात्रा के दौरान उपभोग के लिए था और उनका किसी भी विदेश में कोई गंतव्य नहीं था जहां उन्हें आयात के रूप में प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए बिक्री निर्यात के दौरान बिक्री नहीं थी।यह भी माना गया कि बिक्री के बाद देश से बाहर माल की केवल आवाजाही से बिक्री नहीं होगी, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 286 (1) (बी) के तहत निर्यात के क्रम में है।बिक्री कहने से पहले

ई.

एफ.

जी.

एच.

1146

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 1 एस सी आर।

निर्यात के क्रम में एक बिक्री होने के लिए, दो टर्मिनलों का अस्तित्व आवश्यक है जिनके बीच माल को ले जाने या ले जाने का इरादा है।

26. फेयरमैक्स ट्रेडिंग कंपनी बनाम के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय।टी. एन. राज्य एक निर्धारिती के साथ काम कर रहा था, जो जहाज की दुकानों में एक व्यापारी था और जहाज झूमर के रूप में भी व्यवसाय कर रहा था और जो विदेश जाने वाले जहाजों या राजनयिक कर्मियों को आपूर्ति करने के उद्देश्य से विदेश से माल का आयात करता था।इन वस्तुओं को प्राप्त किया जाता था और सीमा शुल्क बंधुआ गोदाम में रखा जाता था और जब भी इन्हें निर्धारिती द्वारा बेचा जाता था तो सीमा शुल्क अधिकारियों की देखरेख में इन्हें हटा दिया जाता था।मद्रास बंदरगाह में स्थित कुछ जहाजों को की गई विशिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में, जहाज के स्वामी या जहाज में काम करने वाले अन्य अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार, माल का परिवहन इस तरह से किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बंधुआ माल, जिसने कोई शुल्क नहीं दिया था, स्थानीय बाजार में प्रवेश न करे।निर्धारिती द्वारा माल के साथ भेजी गई डिलीवरी रसीद पर जहाज के एक अधिकारी द्वारा अच्छी स्थिति में माल प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे।विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या बिक्री तमिलनाडु राज्य के भीतर हुई थी और तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 के तहत कर लगाया जाना चाहिए।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि (i) जहाज से संचार में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि माल की आपूर्ति केवल जहाज में ही की जानी चाहिए।जहाज में काम करने वाले अधिकारियों के लिए यह खुला था कि वे आएं और माल की डिलीवरी लें, जिस स्थिति में बिक्री एक स्थानीय बिक्री होगी।इसलिए, यह मानते हुए कि क्षेत्रीय जल तमिलनाडु राज्य का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अनुबंध करने वाले पक्षों के विचार में कुछ भी नहीं था कि माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाना था, यह माना गया कि यह दृष्टिकोण रखना संभव नहीं था कि बिक्री अंतर-राज्यीय बिक्री थी; और (ii) कि निर्धारिती विशिष्ट या निश्चित माल नहीं बेच रहा था, क्योंकि माल बंधुआ गोदाम के भीतर एक बड़े स्टॉक का हिस्सा था और इसलिए, जब भी जहाज के अधिकारियों द्वारा विवरण द्वारा आदेश दिए गए थे, तो अनुबंध के लिए अलग और विनियोजित किया जाना था।इसलिए, बिक्री केंद्रीय बिक्री कर

अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (बी) के विशिष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए स्थानीय बिक्री थी, जिसे अधिनियम की धारा 2 (एन), स्पष्टीकरण 3 (तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959) के सहपठित पढ़ा जाता था और तदनुसार कर योग्य ए थी।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1147

निर्मल कुमार पारसन बनाम आयोग

वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

अधिनियम के तहत। न्यायालय ने इस सवाल पर विचार करना आवश्यक नहीं पाया कि क्या क्षेत्रीय जल क्षेत्र तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है या नहीं।

27. फेयरमैक्स ट्रेडिंग कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर मद्रास उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया था।ए. पी. राज्य मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने विचार में प्रश्न की विस्तार से जांच नहीं की।

बी.

28. जहाँ तक आंध्र प्रदेश और मद्रास के उच्च न्यायालयों ने उक्त दो निर्णयों में कहा है कि बिक्री राज्य के भीतर हुई है, हम सहमत हैं।”

सी.

(जोर दिया गया) न्यायालय ने अंत में पैराग्राफ 36 और 37 में निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः- “36. इसलिए, इन सभी मामलों में जो छोटा सवाल उठता है, वह यह है कि क्या विचाराधीन वस्तुओं की बिक्री तमिलनाडु के क्षेत्र के भीतर हुई थी।इन मामलों में बिक्री माल के विनियोग द्वारा की जाती थी।इस तरह का विनियोग बंधुआ गोदाम में हुआ।इस तरह के बंधुआ गोदाम तमिलनाडु राज्य के क्षेत्र के भीतर थे।इसलिए, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 4 की उप-धारा (2), उप-खंड (ए) और (बी) के तहत, विचाराधीन वस्तुओं की बिक्री राज्य के

भीतर हुई मानी जाएगी क्योंकि सुनिश्चित वस्तुओं की बिक्री का अनुबंध तमिलनाडु के क्षेत्र के भीतर किया गया था और इसके अलावा केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के संदर्भ में उस राज्य में अप्रमाणित वस्तुओं का विनियोग किया गया था।बिक्री का सवाल ही नहीं है।

डी.

ई.

इस मामले में धारा **5** के तहत निर्यात या आयात के दौरान हो रहा है।उस दृष्टिकोण से केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम**, 1956** की धारा **2** के खंड **(**ए**.** बी**.)** में शामिल करके **1976** के अधिनियम **103** द्वारा पेश किया गया संशोधन

एफ.

स्थिति को प्रभावित न करें।इस संबंध में बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज लिमिटेड में इस न्यायालय की टिप्पणियों से संदर्भ दिया जा सकता है, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सीमा शुल्क बाधा बिक्री-कर उद्देश्यों के लिए राज्य के क्षेत्र के लिए एक अंतिम सीमा निर्धारित नहीं करती है। इसलिए, सीमा शुल्क बाधा से परे बिक्री अभी भी एक है

जी.

राज्य के भीतर बिक्री।**1976** के अधिनियम **103** द्वारा धारा **2** में पेश किया गया संशोधन स्थिति को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि सीमा शुल्क केंद्र तमिलनाडु राज्य के भीतर है।कि

एच.

प्रश्न प्रासंगिक हो सकता है यदि हम केंद्रीय बिक्री की धारा **5** द्वारा विचार किए गए माल को स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा बिक्री के मामले पर विचार कर रहे थे **-**

कर अधिनियम। परिसर में हम दीवानी अपीलों में अपीलार्थियों की ओर से आग्रह की गई दलीलों और रिट याचिका में आग्रह की गई दलीलों को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

बी.

37. हमने जो विचार रखा है, उसमें इन तर्कों पर अपनी राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं है कि क्या 1976 के अधिनियम 103 द्वारा केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (ए. बी.) को लागू करना संभावित है या नहीं।हालाँकि, हमने प्रस्तुतियों को नोट किया है।यह प्रश्न, हमारे उपरोक्त विचारों के आलोक में, वर्तमान विवाद के लिए सामग्री नहीं है।"

सी.

(जोर दिया गया) 12.उक्त निर्णय के अंतर्निहित सिद्धांत को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि आयात के क्रम में होने वाली बिक्री, वस्तुओं की बिक्री होनी चाहिए और इस तरह की बिक्री के परिणामस्वरूप, माल को वास्तव में भारत के क्षेत्र के भीतर आयात किया जाना चाहिए और इसके अलावा, बिक्री आयात का हिस्सा और पार्सल होनी चाहिए ताकि इसका अवसर आयात हो सके।वास्तव में, सीमा शुल्क अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केवल सीमा शुल्क के भुगतान पर ही सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा माल को मंजूरी दी जाती है, जहाँ से उसके आयात को पूर्ण माना जा सकता है।हालाँकि, यह संबंधित राज्य द्वारा बिक्री कर लगाने में कोई बाधा नहीं होगी, जिसके क्षेत्र में माल पहले ही उतर चुका था/उतारा जा चुका था और बंधुआ गोदाम में रखा गया था।छूट प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक है कि जब बिक्री होती है तो माल आयात की प्रक्रिया में होना चाहिए या बिक्री भारत के क्षेत्र के भीतर उसके आयात का कारण होनी चाहिए।"अवसर" शब्द का उपयोग "कारण बनने" या "तत्काल कारण बनने" के लिए किया जाता है।वर्तमान मामले में, बताई गई बिक्री किसी भी तरह से भारत के क्षेत्र में माल के आयात का कारण नहीं थी।क्योंकि, विदेश जाने वाले जहाज द्वारा माल को सीमा शुल्क सीमाओं/भारतीय जल सीमा को पार करने के बाद उपभोग के लिए जहाज भंडार के रूप में ले जाया गया था।

डी.

ई.

एफ.

13. निस्संदेह, बिक्री जिसे बिक्री कर के भुगतान से छूट माना जाता है, एक ऐसी बिक्री है जो आयात का कारण बनती है या माल के आयात का तत्काल कारण होती है।अपीलार्थियों यह स्थापित करने में विफल रहे कि कथित माल वास्तव में भारत के क्षेत्र के भीतर आयात किया जाएगा और सीमा शुल्क स्टेशन को पार नहीं किया था, यह तर्क नहीं दे सकते कि बिक्री सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (ए. बी.) सहपठित धारा 5 के अर्थ के भीतर आयात की प्रक्रिया में थी। इसके अलावा, ए

जी.

एच.

1149

निर्मल कुमार पारसन बनाम आयोग

वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

आयात की प्रक्रिया या प्रगति के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए माल के आयात और विचाराधीन बिक्री के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है।हम उपयोगी रूप से सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 का विज्ञापन कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैः-

“5. आयात या निर्यात के दौरान माल की बिक्री या खरीद कब होती है।-(1) की बिक्री या खरीद

बी.

माल को भारत के क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के दौरान केवल तभी माना जाएगा जब बिक्री या खरीद ऐसे निर्यात के अवसर पर या माल के भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने के बाद माल को स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा प्रभावित होती है।

सी.

(2) माल की बिक्री या खरीद भारत के क्षेत्र में माल के आयात के दौरान केवल तभी मानी जाएगी जब बिक्री या खरीद या तो ऐसे आयात के अवसर पर या माल के भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने से पहले माल को स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा प्रभावित होती है।

डी.

(3) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर उन वस्तुओं की बिक्री या खरीद से पहले किसी भी वस्तु की अंतिम बिक्री या खरीद भी ऐसे निर्यात के क्रम में मानी जाएगी, यदि ऐसी अंतिम बिक्री या खरीद ऐसे निर्यात के लिए या उसके संबंध में समझौते या आदेश के बाद हुई थी और उसका पालन करने के उद्देश्य से की गई थी।”

ई.

(जोर दिया गया) 14.महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह माना जा सकता है कि माल भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने से पहले भारत के क्षेत्र में माल के आयात के दौरान हुई थी, जो सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (2) की मुख्य आवश्यकता है। "भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करना" अभिव्यक्ति को सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (ए. बी.) में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार हैः-

एफ.

जी.

“2. परिभाषाएँ।- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो,-XXX

((अ) "भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने" का अर्थ है सीमा शुल्क स्टेशन के क्षेत्र की सीमा को पार करना जिसमें आयातित वस्तुओं या निर्यात वस्तुओं को आम तौर पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मंजूरी से पहले रखा जाता है।

एच.

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सीमा शुल्क स्टेशन" और "सीमा शुल्क प्राधिकरणों" का वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में है।"

यह परिभाषा "सीमा शुल्क स्टेशन" अभिव्यक्ति को संदर्भित करती है, जो बदले में, सीमा शुल्क अधिनियम में परिभाषित "सीमा शुल्क बंदरगाह", "सीमा शुल्क हवाई अड्डा" और "भूमि सीमा शुल्क स्टेशन" को संदर्भित करती है। हम उपयोगी रूप से सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (10), 2 (11), 2 (12), 2 (13) और 2 (29) का उल्लेख कर सकते हैं, जो वर्तमान मामलों के लिए लागू होती हैं, जो इस प्रकार हैंः-

बी.

"2. परिभाषाएँ।- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो।- (10) "सीमा शुल्क हवाई अड्डा "का अर्थ है धारा 7 के खंड (ए) के तहत सीमा शुल्क हवाई अड्डे के रूप में नियुक्त कोई भी हवाई अड्डा;

सी.

(11) "सीमा शुल्क क्षेत्र का अर्थ है सीमा शुल्क स्टेशन का क्षेत्र और इसमें कोई भी क्षेत्र शामिल है जिसमें आयातित वस्तुओं या निर्यात वस्तुओं को आम तौर पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मंजूरी से पहले रखा जाता है।

(12) "सीमा शुल्क बंदरगाह "से धारा 7 के खंड (ए) के तहत सीमा शुल्क बंदरगाह के रूप में नियुक्त कोई भी बंदरगाह अभिप्रेत है [, और इसमें उस धारा के खंड (एए) के तहत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के रूप में नियुक्त स्थान शामिल है]; (13)" सीमा शुल्क स्टेशन "से कोई सीमा शुल्क बंदरगाह, सीमा शुल्क हवाई अड्डा या भूमि सीमा शुल्क स्टेशन अभिप्रेत है;

डी.

XXX

XXX

XXX

ई.

(29) "भूमि सीमा शुल्क स्टेशन "का अर्थ है धारा 7 के खंड (बी) के तहत भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के रूप में नियुक्त कोई भी स्थान;

इसके अलावा, हम सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 7 का भी उल्लेख कर सकते हैं, जो सीमा शुल्क बंदरगाहों, हवाई अड्डों आदि की नियुक्ति को स्वीकार करती है। वही इस प्रकार पढ़ता हैः-

एफ.

“7. सीमा शुल्क बंदरगाहों, हवाई अड्डों आदि की नियुक्ति।- केन्द्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, (क) उन बंदरगाहों और हवाई अड्डों की नियुक्ति कर सकती है जो अकेले आयातित वस्तुओं के उतारने और निर्यात वस्तुओं या ऐसी वस्तुओं के किसी भी वर्ग के लदान के लिए सीमा शुल्क बंदरगाह या सीमा शुल्क हवाई अड्डे होंगे।

जी.

15 1983 के अधिनियम 11 द्वारा अंतःस्थापित, धारा। 46 (डब्ल्यू. ई. एफ. 13-5-1983)-सी. ए. संख्या 7864/2009 ए. पर लागू

एच.

1151

निर्मल कुमार पारसन बनाम आयोग

वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

16 [((क) वे स्थान जो अकेले आयातित वस्तुओं के उतारने और निर्यात वस्तुओं या ऐसी वस्तुओं के किसी भी वर्ग के लदान के लिए अंतर्देशीय कंटेनर डिपो होंगे।

(ख) वे स्थान जो अकेले भूमि या अंतर्देशीय जल या ऐसे माल के किसी भी वर्ग द्वारा आयातित या निर्यात किए जाने वाले माल की निकासी के लिए भूमि सीमा शुल्क केंद्र होंगे;

बी.

(ग) वे मार्ग जिनके द्वारा अकेले अधिसूचना में निर्दिष्ट माल या माल का कोई वर्ग भूमि या अंतर्देशीय जल से भारत में या भारत से बाहर, या किसी भूमि सीमा शुल्क स्टेशन से या किसी भूमि सीमा तक जा सकता है;

सी.

(घ) वे बंदरगाह जो अकेले भारत में सभी या किसी निर्दिष्ट बंदरगाहों के साथ तटीय वस्तुओं या ऐसे माल के किसी भी वर्ग के व्यापार के लिए तटीय बंदरगाह होंगे।”

हमें उत्तरदाताओं के इस तर्क को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि एक कराधान क़ानून होने के नाते, इन प्रावधानों की सख्त व्याख्या अपरिहार्य है।वर्तमान मामलों में लागू "सीमा शुल्क बंदरगाह" या "भूमि सीमा शुल्क स्टेशन" की परिभाषा के अनुसार, यह धारा 7 के तहत अधिसूचना के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सीमा शुल्क बंदरगाह या भूमि सीमा शुल्क

स्टेशन क्षेत्र है।अपीलार्थियों का यह मामला नहीं है कि बंधुआ गोदाम, जहां माल रखा गया था और कथित बिक्री माल के विनियोग द्वारा की गई थी, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 7 के तहत सीमा शुल्क बंदरगाह और/या भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के रूप में अधिसूचित क्षेत्र के भीतर थे। चूंकि कथित माल ने संबंधित समय पर सीमा शुल्क बंदरगाह/भूमि सीमा शुल्क स्टेशन से आगे की यात्रा की थी, इसका मतलब यह होगा कि माल ने सी. एस. टी. अधिनियम के उद्देश्यों के लिए भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार कर लिया था। नतीजतन, सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (2) में बनाई गई कानूनी कल्पना का कोई उपयोग नहीं होगा।

डी.

ई.

एफ.

15. विशेष रूप से, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (43) और 2 (44) में क्रमशः "गोदाम" और "भंडारित सामान" शब्दों को परिभाषित किया गया है।प्रासंगिक समय पर लागू प्रावधानों के अनुसार, "गोदाम" का अर्थ है धारा 57 के तहत नियुक्त सार्वजनिक गोदाम या धारा 58 के तहत लाइसेंस प्राप्त निजी गोदाम।“भंडारित माल का अर्थ है गोदाम में जमा किया गया माल।जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि बंधुआ गोदाम, जहां उल्लिखित सामान अपीलार्थियों द्वारा रखा गया था और अंततः बेचा गया था, सीमा शुल्क बंदरगाह का हिस्सा था /

जी.

16 1983 के अधिनियम 11 द्वारा अंतःस्थापित, धारा। 47 (डब्ल्यू. ई. एफ. 13-5-1983)-सी. ए. संख्या 7864/2009 पर लागू

एच.

भूमि सीमा शुल्क स्टेशन।यदि ऐसा है, तो भारत के क्षेत्र में माल के आयात के दौरान हुई बिक्री की कानूनी कल्पना का वर्तमान मामलों पर कोई प्रभाव और प्रयोज्यता नहीं होगी।

16. इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए, अपीलार्थी द्वारा बल दिया गया था

भारतीय पर्यटक विकास निगम में प्रदर्शनी पर

(ऊपर), जिसने उस स्थिति पर विचार किया था जहां माल को बंधुआ गोदाम में रखा गया था और बिक्री के लिए शुल्क मुक्त दुकानों में उपलब्ध कराया गया था।इस न्यायालय ने राय दी कि चूंकि माल की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बेंगलुरु में स्थित शुल्क मुक्त दुकानों को बिक्री के लिए की गई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त माल ने भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार कर लिया था।हम यह समझने में विफल हैं कि यह निर्णय अपीलार्थियों के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद कैसे होगा।क्योंकि, न्यायालय वर्तमान मामलों की तरह ऐसी स्थिति से नहीं निपट रहा था, जिसमें माल सीमा शुल्क बंदरगाह/भूमि सीमा शुल्क स्टेशन क्षेत्र को पार कर गया था और बंधुआ गोदाम में रखा गया था, जहां माल की विनियोग द्वारा बिक्री की गई थी। वास्तव में, रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 17 में, न्यायालय ने उस मामले के तथ्यों में कहा है कि जब माल को बंधुआ गोदाम में रखा जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त माल ने भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार कर लिया था।हालाँकि, न्यायालय ने अंततः अपीलार्थियों के दावे का जवाब इस निष्कर्ष पर दिया कि शराब, सिगरेट, इत्र और खाद्य पदार्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बेंगलुरु में "शुल्क मुक्त दुकानों" पर बेचे गए थे, जिसके लिए अपीलार्थियों द्वारा कोई कर देय नहीं था क्योंकि शुल्क मुक्त दुकानों पर बेचा गया माल सीधे यात्रियों को बेचा गया था और यहां तक कि माल की डिलीवरी भी माल के आयात से पहले या माल के भारत की सीमा शुल्क सीमा पार करने से पहले शुल्क मुक्त दुकानों पर हुई थी।अतः उक्त निर्णय में विचार किया गया मुद्दा यह था कि क्या बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित शुल्क मुक्त दुकानों पर बिक्री पर बिक्री कर लगेगा।जैसा कि पहले देखा गया है, "सीमा शुल्क स्टेशन" की परिभाषा स्पष्ट रूप से सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (10) में परिभाषित सीमा शुल्क हवाई अड्डे को संदर्भित करती है। चूंकि शुल्क-मुक्त दुकान हवाई अड्डे के क्षेत्र में स्थित है, इसका मतलब यह होगा कि शुल्क-मुक्त दुकानों पर माल की बिक्री भारत के क्षेत्र में माल के आयात के दौरान हुई थी।इस प्रकार समझा जाता है कि विचाराधीन रिपोर्ट किया गया निर्णय अपीलार्थियों के लिए कोई लाभप्रद नहीं है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

17. यहां तक कि जे. वी. गोकल (ऊपर) में संविधान पीठ का यह स्पष्टीकरण कि माल की संपत्ति के बाद किसी आयातक द्वारा भुगतान के खिलाफ स्वामित्व के दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद या अन्यथा, किसी तीसरे पक्ष को इसी तरह की प्रक्रिया से माल की बिक्री भी आयात के क्रम में बिक्री है, ए पर समान रूप से कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

एच.

1153

निर्मल कुमार पारसन बनाम आयोग

वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

वर्तमान मामले।जितना हो सके, माल की बिक्री भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने से पहले होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह सीमा शुल्क बंदरगाह/भूमि सीमा शुल्क स्टेशन क्षेत्र के भीतर थी।अपीलार्थियों द्वारा इसमें यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि विषय बंधुआ गोदाम सीमा शुल्क बंदरगाह/भूमि सीमा शुल्क स्टेशन क्षेत्र के भीतर आया था और कथित बिक्री ने भारत के क्षेत्र के भीतर माल का आयात किया था।यदि ऐसा है, तो नीचे दिए गए अधिकारियों द्वारा दर्ज तथ्य और निष्कर्ष का निष्कर्ष, जिसकी उच्च न्यायालय ने सराहना की, असाधारण है।

बी.

18. इस न्यायालय ने के. गोपीनाथन नायर और ओ. आर. एस. बनाम.की स्थिति

केरल 17 ने यह निर्धारित करने के लिए गणना किए जाने वाले कारकों की व्याख्या की है कि क्या वस्तुओं की संबंधित बिक्री या खरीद आयात के दौरान हुई मानी जा सकती है।उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

सी.

“14. इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसलों से उभरी उपरोक्त तय कानूनी स्थिति के आलोक में निम्नलिखित प्रस्तावों को यह तय करने के लिए स्पष्ट रूप से पेश किया जाता है कि क्या वस्तुओं की संबंधित बिक्री या खरीद केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 5 (2) द्वारा निर्धारित आयात के दौरान हुई मानी जा सकती हैः

डी.

(1) बिक्री या खरीद, जैसा भी मामला हो, वास्तव में होनी चाहिए।

ई.

(2) भारत में इस तरह की बिक्री या खरीद अपने आप में इस तरह के आयात का कारण बननी चाहिए, न कि इसके विपरीत यानी आयात को इस तरह की बिक्री का कारण नहीं बनना चाहिए।

(3) माल जब बिक्री या खरीद के अधीन होता है तो वह आयात धारा में प्रवेश कर चुका होना चाहिए।

एफ.

(4) संबंधित वस्तुओं का आयात संबंधित बिक्री या खरीद लेनदेन के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में किया जाना चाहिए।(5) आयात की प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जा सकता है जब तक कि आयातित माल स्थानीय उपयोगकर्ताओं तक नहीं पहुंच जाता है, केवल तभी जब आयात विदेशी निर्यातक और एक मध्यस्थ के बीच समझौते के माध्यम से शुरू हुआ है जो विदेशी निर्यातक के साथ लेन-देन में अपने दम पर कार्य नहीं करता है और जो अपने बदले में स्थानीय उपयोगकर्ताओं को आयातित माल को मूलधन के रूप में नहीं बेचता है।(6) या तो एक ही बिक्री होनी चाहिए जो स्वयं आयात का कारण बनती है या आयात की प्रगति या प्रक्रिया में है या हालांकि

जी.

एच.

17 (1997) 10 एससीसी 1

ऐसा प्रतीत हो सकता है कि दो बिक्री लेन-देन हो सकते हैं, वे इतने अभिन्न रूप से आपस में जुड़े हुए हैं कि वे लगभग एक लेन-देन से मिलते-जुलते हैं ताकि किसी विदेशी देश से भारत में माल की आवाजाही को इस तरह के समग्र और एकीकृत लेन-देन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके जिसमें दो लेन-देन एक-दूसरे से जुड़े हों।

बी.

(7) एक बिक्री या खरीद को आयात के क्रम में माना जा सकता है यदि भारतीय आयातक और विदेशी निर्यातक के बीच अनुबंध की प्रत्यक्ष गोपनीयता है और मध्यस्थ जिसके माध्यम से ऐसा आयात किया जाता है, केवल भारतीय आयातक के लिए और उसकी ओर से एक एजेंट या ठेकेदार के रूप में कार्य करता है।

सी.

(8) सार में लेन-देन ऐसा होना चाहिए कि नहर बनाने वाली एजेंसी या मध्यस्थ एजेंसी जिसके माध्यम से आयात भारत में किया जाता है ताकि अंतिम स्थानीय उपयोगकर्ताओं तक पहुँच सके, केवल एक नाम ऋणदाता के रूप में दिखाई दे जिसके माध्यम से यह स्थानीय आयातक-सह-स्थानीय उपयोगकर्ता है जो छद्म रूप धारण करता है।"19. किरण स्पिनिंग मिल्स (उपरोक्त) के पैराग्राफ 6 में विज्ञापन देना भी उपयोगी होगा, जो इस प्रकार हैः

डी.

“6. आकर्षक, जैसा कि तर्क है, हमें डर है कि हम उसमें कोई योग्यता नहीं पाते हैं।यह अब इस न्यायालय द्वारा हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले में अभिनिर्धारित किया गया है।भारत संघ ने कहा कि अतिरिक्त शुल्क लगाने के उद्देश्य से शुल्क अधिनियम की धारा 3 एक प्रभार अनुभाग है।धारा 3 उप-धारा (6) सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है।यह सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों को लागू करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि जिस दिन माल को बंधुआ गोदाम से हटाया जाएगा, उस दिन देय शुल्क की दर (लागू दर के अनुसार) होगी।इसके अलावा, इस न्यायालय ने समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, एस. सी. आर. में पी.803 कि सीमा शुल्क के मामले में कर योग्य घटना सीमा शुल्क बाधाओं के भीतर वस्तुओं का आयात है।दूसरे शब्दों में, कर योग्य घटना तब होती है जब सीमा शुल्क बाधा को पार किया जाता है।वे सामान जो गोदाम में हैं, उनके मामले में सीमा शुल्क बाधाओं को पार किया जाएगा जब उन्हें सीमा शुल्क से बाहर निकालने और देश में माल के बड़े पैमाने पर लाने की मांग की जाएगी।मान लीजिए कि यह 4-10-1978 के बाद किया गया था।उस दिन जब माल को इस तरह हटा दिया गया था, उक्त अध्यादेश के तहत उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क 4-10-1978 के बाद निर्मित माल पर देय था।हम श्री रामचंद्रन के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि क्या यह देखा जाना चाहिए कि क्या अतिरिक्त ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

1155

निर्मल कुमार पारसन बनाम आयोग

वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

उत्पाद शुल्क का भुगतान उस समय किया जाता था जब माल भारत में उतरता था या, जैसा कि उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया था, वे क्षेत्रीय जल में पार हो गए थे।जब माल क्षेत्रीय जल में प्रवेश करता है तो आयात पूरा होना वह विवाद है जिसे इस न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम अपार (पी) लिमिटेड में पहले ही खारिज कर दिया गया है।

22-7-1999 पर।आयात तभी पूरा होगा जब माल को सीमा शुल्क बाधाओं को पार करना होगा और यही वह समय है जब आयात शुल्क का भुगतान करना होगा और यही वह है जो

बी.

समुद्री सीमा शुल्क मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किया गया था (पृष्ठ 823 पर एस. सी. आर.)

कर योग्य घटना के रूप में।इसलिए, कर योग्य घटना सीमा शुल्क बाधा को पार करने का दिन है, न कि उस तारीख को जब माल भारत में उतरा था या सीमा शुल्क सीमा में प्रवेश किया था।

सी.

क्षेत्रीय जल क्षेत्र में, हम पाते हैं कि कर योग्य घटना की तारीख को उक्त अध्यादेश के तहत उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था और इसलिए, टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के तहत अतिरिक्त शुल्क की अपीलार्थियों से उचित मांग की गई थी।"

(जोर दिया गया) 20।एक प्राथमिकता, आयात के दौरान बिक्री या खरीद के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, आवश्यक शर्तें यह हैं कि ऐसी बिक्री माल के भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने से पहले होगी और माल का आयात प्रभावित होना चाहिए या आयात इस तरह की बिक्री या खरीद के कारण होता है।वर्तमान मामले में, विचाराधीन बिक्री अवसर आयात नहीं थी।

डी.

ई.

21. तर्क के लिए, माल की बिक्री या खरीद को निर्यात के दौरान बिक्री या खरीद माना जाता है, सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (1) में निम्नलिखित शर्तों का प्रावधान हैः(i) बिक्री या खरीद ऐसे निर्यात का कारण बनेगी या (ii) बिक्री या खरीद माल के भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने के बाद माल को स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण से प्रभावित होगी।

एफ.

22. इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने मो. सेराजुद्दीन और ओआरएस बनामउड़ीसा राज्य 18 ने माना है कि 'पाठ्यक्रम में' अभिव्यक्ति का तात्पर्य न केवल उस समय की अवधि से है जिसके दौरान आंदोलन चल रहा है, बल्कि एक जुड़े हुए संबंध को स्वीकार करता है।निर्णय के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार निकाला गया हैः

जी.

"18. .....निर्यात के दौरान एक बिक्री बिक्री और निर्यात के बीच एक संबंध का अनुमान लगाती है।कोई एकल परीक्षण नहीं हो सकता है

18 (1975) 2 एस. सी. सी 47

एच.

उस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए निर्णायक के रूप में रखा गया।प्रत्येक मामला अपने तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए।लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लेनदेन के बीच का अंतर जिसे निर्यात के लिए बिक्री और बिक्री कहा जा सकता है

निर्यात का मार्ग वास्तविक नहीं है।जहां बिक्री विक्रेता द्वारा की जाती है और विक्रेता वास्तव में होने वाले निर्यात से जुड़ा नहीं है, तो यह निर्यात के लिए बिक्री है।जहां निर्यात बिक्री का परिणाम है, वहां निर्यात को बिक्री के साथ अटूट रूप से जोड़ा जा रहा है ताकि बांड को कानून, अनुबंध या लेनदेन की प्रकृति से उत्पन्न पक्षों के बीच आपसी समझ से उत्पन्न दायित्वों के उल्लंघन के बिना अलग नहीं किया जा सके।

बी.

नीलगिरी बागानों के मामले (उपर्युक्त) में इस न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थियों द्वारा बिक्री का उद्देश्य निर्यात के बिना पूर्ण होना था और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि बिक्री निर्यात के कारण हुई थी।बिक्री निर्यात के लिए थी न कि निर्यात के लिए।" (जोर दिया गया) 23।यह यहाँ निर्यात की परिभाषा के विज्ञापन के लिए प्रासंगिक है।सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (18) निर्यात को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः

सी.

डी.

"2. परिभाषाएँ।- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

XXX

XXX

ई.

(18) - "अपनी व्याकरणिक विविधताओं और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों के साथ "निर्यात" का अर्थ है भारत से बाहर किसी स्थान पर ले जाना।" (जोर दिया गया) 24।वर्तमान मामले में, यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि विचाराधीन वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा था।चूंकि माल का उपभोग विदेश जाने वाले जहाज के बोर्ड पर किया जाना है और किसी गंतव्य तक पहुंचने से पहले इसका उपभोग किया जाएगा, इसलिए यह 'निर्यात' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। बिक्री तब तक बिक्री अवसर निर्यात के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कि माल

भारत के बाहर किसी गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता।इसके अलावा, चूंकि माल बंधुआ गोदाम से बेचा गया है और उनकी बिक्री से पहले सीमा शुल्क बंदरगाह/भूमि सीमा शुल्क स्टेशन को पार कर चुका है, इसलिए यह सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (ए. बी.) सहपठित धारा 5 (1) के अर्थ के भीतर निर्यात के दौरान बिक्री के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं कर सकता है।

एफ.

जी.

25. इस तर्क के संबंध में कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 69 के तहत घोषणा अपीलार्थी द्वारा की गई थी, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि ऐसी घोषणा ए से संबंधित माल के संबंध में की गई थी।

एच.

1157

निर्मल कुमार पारसन बनाम आयोग

वाणिज्यिक कर और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

विषय बिक्री (ओं) के लिए।अन्यथा, सीमा शुल्क की छूट के सीमा शुल्क अधिनियम के तहत दिए गए लाभ को संबंधित राज्य और केंद्रीय कानूनों के तहत बिक्री कर की छूट के रूप में नहीं लिया जा सकता है।इसी तरह, 1976 में सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 में उप-धारा (3) का सम्मिलन इन मामलों को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि बन्धक गोदाम जहां माल की कथित बिक्री या विनियोग हुआ है, वह पश्चिम बंगाल राज्य की भूमि के भीतर है और सीमा शुल्क स्टेशन क्षेत्र के भीतर नहीं दिखाया गया है।26. एक प्राथमिकता के रूप में, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल राज्य के भूमि-द्रव्यमान/क्षेत्र के भीतर बंधुआ गोदाम में रखी गई वस्तुओं की कथित बिक्री या विनियोग न तो आयात या निर्यात के क्रम में है और इससे भी अधिक, सीमा शुल्क बंदरगाह/भूमि सीमा शुल्क स्टेशन क्षेत्र से बाहर किया गया था।इसलिए, कानूनी रूप से, यह सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 4 सहपठित 1954 के अधिनियम और 1994 के अधिनियम के तहत बिक्री कर लगाने के लिए उत्तरदायी बिक्री थी। नतीजतन, इन अपीलों को विफल होना चाहिए, क्योंकि हम नीचे दिए गए अधिकारियों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं और जिन्होंने उच्च न्यायालय में न्यायसंगत रूप से सराहना की थी।

बी.

सी.

डी.

27. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इन अपीलों को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अंकित ज्ञान

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

ई.

एफ.

जी.

एच.